रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 1987/आषाढ़ 23, 1909
No. 376] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1987/ASADHA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(नागरिक आपूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

अधिसूचना

मा.का.नि. 658(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 11 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय आयोग का प्रधान, उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध, वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार होगा और अन्य सदस्य, यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं, तो प्रतिमास 6,000/– रु. का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे या यदि वे अंशकालिक आधार पर आसीन है तो बैठकों के लिए प्रतिदिन तीन सौ रुपए का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे ।"

3. उक्त नियमों के नियम 12 के उपनियम (2) के परन्तुक में, "65 वर्ष" अंकों और शब्द के स्थान पर "70 वर्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. स. 9/11/86–सी पी यू]
बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा०का०नि० 398(इ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 14th July, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namley :

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as the

said rules), for sub-rule (1) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(1) The President of the National Commission shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to a sitting Judge of the Supreme Court and other members, if sitting on whole-time basis, shall receive a consolidated honorarium of six thousand rupees per month or if sitting on part-time basis, a consolidated honorarium of three hundred rupees per day for sitting."

3. In the proviso to sub-rule (2) of rule 12 of the said rules, for the figures and word "65 years", the figures and word "70 years" shall be substituted.

[File No. 9/11/86-CPU]
B. K. SINHA, Jt. Secy.

Note :—The principle rules were notified vide No. G.S.R. 398(E) dated the 15th April, 1987.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987